

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर



क्रमांक :- प.1(1)कार्मिक/2019/514

दिनांक : 15/5/19

-:: कार्यालय आदेश ::-

प्रमुख शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ.1() वि.अ.अ.2016/निदे.वि.यो./2019/19832 दिनांक 15.03.2019 की अनुपालना में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अध्याय 4 की धारा-23 के क्रम में योग्यजनों का शिकायत निवारण के लिये निम्न अधिकारी को शिकायत प्रतितोष अधिकारी नामित किया जाता है :-

क्र.स.	नाम एवं पदनाम	कार्यालय का नाम	मोबाईल नम्बर
1.	श्री अनिल कुमार कौशिक, सम्पदा प्रबन्धक	राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	9414904888

(राजीव जैन)
सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता-(मु.)/I/II, रा.आ.म., जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
3. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक/निदेशक विधि/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/उप वित्तीय सलाहकार/उप सचिव/वरिष्ठ नगर नियोजक/विशेषाधिकारी(भूमि)/सम्पदा प्रबन्धक (मुख्यालय)/सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)/विधि अधिकारी (वरिष्ठ)/तहसीलदार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा.आ.म.,.....।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-....., राजस्थान आवासन मण्डल,।
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., राजस्थान आवासन मण्डल,।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-पीएच. 1, 2, 3 एवं 4, रा.आ.म., जयपुर/जोधपुर।
8. गोपनीय/एसीआर/लेखाधिकारी (भुगतान)/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.म., जयपुर।
9. संबंधित श्री अनिल कुमार कौशिक, सम्पदा प्रबन्धक (मु.), रा.आ.म., जयपुर।
10. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

3/5/19
वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक